<u>**संछिप्त परिचय**</u>

बाबू लाल वर्मा
सहायक निदेशक (आ.अ.)
भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय
एमएसएमई-विकास संस्थान, कानपुर
शिक्षाः- एम.ए. (अर्थशास्त्र)

सेवाएँ :-

(अ) सहायक क्षेत्र पर्यवेक्षक/क्षेत्र पर्यवेक्षक
प्रादेशिक को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0, लखनऊ
अवधिः- 18-07-1985 से 28-02-1998 तक

(ब) लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी(आ.अ.)/
सहायक निदेशक(आ.अ.)
05-03-1998 से अब तक

विशेषज्ञताः-

1. आर्थिक अन्वेषण क्षेत्र
2. बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ
3. लघु उद्योग हेतु संवर्द्धनात्मक नीतियाँ
4. काव्य पाठ

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में रूग्णता एवं उत्थान के प्रयास

कार्यालय विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1954 में फोर्ड फाउण्डेशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी । स्थापना से लेकर नवम्बर, 2006 तक इसे कार्यालय विकास आयुक्त (लघु उद्योग) व लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO) के नाम से जाना जाता था । दिनॉक 2 अक्टूबर, 2006 से लघु उद्योग, कृषि तथा ग्रामीण मंत्रालय को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में रूपान्तर के पश्चात् यह कार्यालय विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संगठन के रूप में कार्यरत है । इसकी भूमिका **भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले लघु उद्योग क्षेत्र** के लिए नीति निर्माता एवं पथ-पदर्शक और सुविधा प्रदाता एजेन्सी के रूप में है । इसके प्रबन्धनाधीन 60 से अधिक कार्यालय तथा स्वायत्त निकाय, 2 विभागीय प्रशिक्षण संस्थान (एमएसएमई-टीआई) और एक विभागीय हस्त औजार विकास केन्द्र (एमएसएमई-टीडीसी-हस्तऔजार) है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप कार्यालय विकास आयुक्त इस समय अपना ध्यान एमएसएमई को क्रेडिट, विपणन, प्रौद्योगिकी तथा अवसरचनात्मक सुविधायें प्रदान करने वाले क्षेत्रों में सहयोग देने पर केन्द्रित कर रहा है । संगठन के प्रमुख प्रकार्य इस प्रकार हैं-

1. सरकार को एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन तथा विकास के लिए नीति निर्धारण में सलाह देना।

2. एमएसएमई क्षेत्र को तकनीकी, आर्थिक तथा प्रबन्धकीय परामर्श, सामान्य सुविधायें एवं विस्तार सेवायें प्रदान करना ।
3. प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार तथा अवसरचनात्मक सुविधाओं हेतु सुविधा उपलब्ध कराना है ।
4. प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधनों का विकास ।
5. आर्थिक सूचना सेवायें उपलब्ध कराना ।
6. केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, विकास से सम्बन्धित संगठनों के साथ निकट सम्पर्क एवं समन्वय बनाये रखना ।
7. बड़े उद्योगों के लिए अनुषंगी सहयोगी के रूप में एमएसएमई के क्षेत्र के विकास के लिए नीतियॉ तथा कार्यक्रम तैयार करना और समन्वित करना ।

भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अपने नोटीफिकेशन संख्या : एस.ओ.1154 (ई) दिनॉक 18 जुलाई, 2006 के माध्यम से एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 को पास किया गया जिसे 2 अक्टूबर, 2006 को पूरे देश में लागू किया जा चुका है । इस अधिनियम का उद्देश्य एमएसएमई के संवर्द्धन व विकास को सुगम बनाना और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है । इस अधिनियम में इन उद्यमों को विलम्बित भुगतान के संबंध में दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -

विवरण	उत्पादक इकाइयों में प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश	सेवा क्षेत्र की इकाइयों में प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश
सूक्ष्म उद्यम	रू0 25.00 लाख तक	रू0 10.00 लाख तक
लघु उद्यम	रू0 25.00 लाख से 5.00 करोड़ तक	रू0 10.00 लाख से 2.00 करोड़ तक
मध्यम उद्यम	रू0 5.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक	रू0 2.00 करोड़ से रू05.00 करोड़ तक

उत्तर प्रदेश में कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई), नई दिल्ली के अधीनस्थ तीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान क्रमशः कानपुर, आगरा और इलाहाबाद में कार्यरत हैं जिनका नियन्त्रण निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त वाराणसी में एक शाखा कार्यालय भी कार्यरत है जो कि एमएसएमई-विकास संस्थान, इलाहाबाद के नियन्त्रणाधीन है । ये संस्थान मुख्यतया निम्न कार्यकलाप निष्पादित करते हैं -

1. भावी तथा मौजूदा उद्यमियों को सहायता, परामर्श देना ।
2. राज्य तथा जिला औद्योगिक रूपरेखा तैयार करना ।
3. एमएसएमई क्षेत्र में उपयुक्त एवं सम्भाव्य उत्पादों/उद्योगों की परियोजना/रूपरेखा तैयार करना ।
4. ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, गुणवत्ता नियन्त्रण तथा प्रौद्योगिक उन्नयन का संचालन।
5. उद्यमिता, प्रबन्धन तथा कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना ।
6. आनुषांगिक विकास सहायता तथा संगोष्ठियों का आयोजन ।
7. कार्यशालाओं एवं प्रयोगशालाओं में सामान्य सुविधायें सेवायें उपलब्ध कराना ।
8. एमएसएमई क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार,वित्तीय संस्थानों एवं उद्योग संघों के मध्य समन्वय करना ।
9. रूग्ण इकाइयों के पुनर्वासन में भारतीय रिजर्व बैंक को आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना ।

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एमएसएमई के मुद्दों पर जोर देने के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है। कार्यबल ने अपनी सिफारिशें भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं जिनपर अमल जारी है । मई, 2008 में प्रारम्भ की गई एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना (2006-07) के परिणाम जारी कर दिये गये हैं । इन परिणामों से पता चलता है कि वर्ष 2006-07 में उत्तर प्रदेश में 31,13,316 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयॉ पंजीकृत हैं जिनमें 57,91,480 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है । कुल एमएसएमई में 24.41% विनिर्माण क्षेत्र में और 75.59% सेवा क्षेत्र में है । इन इकाइयों में 97. 51% स्वतः वित्त पोषित , 2.01% संस्थागत वित्त पोषित एवं 0.48% गैर संस्थागत वित्त पोषित हैं । वर्ष 2009-10 में उत्तर प्रदेश से 5523 यूएस मिलियन डालर का निर्यात उत्तर प्रदेश से किया गया है ।

एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह - उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र को 31 मार्च, 2005 तक रू08484.39 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया जो कुल बैंक क्रेडिट का 16.94% था । सरकार द्वारा अगस्त, 2005 में घोषित नीतिगत पैकेज की घोषणा के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में दिनॉक 31 मार्च, 2011 तक एसएमई को रू032,155.37 करोड़ का ऋण प्रवाह किया गया जो सकल बैंक ऋण का 21.83% था जिसे पूर्व की तुलना में 278.99% की बृद्धि पाई गई। इसी प्रकार बैंकों के द्वारा प्रदेश में लगभग प्रत्येक जनपद में विशेषीकृत लघु औद्योगिक शाखाओं/ विस्तार पटल की स्थापना की गई । मार्च, 2007 में भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्द्धन के लिए एक विस्तृत पैकेज की घोषणा की जिसका लाभ अधिकतर इकाइयों द्वारा उठाया गया ।

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में रूग्णता, रूग्णोन्मुखता एवं पुनर्वास

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में रूग्णता एक गम्भीर समस्या है जिसका निदान अति आवश्यक है । भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनॉक 16.01.2002 द्वारा रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन हेतु गठित (कोहली कमेटी) कार्यबल द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार नवीनतम रूग्ण इकाइयों की परिभाषा इस प्रकार परिभाषित की है-

अ. इकाई का कोई ऋण 6 माह से अधिक समय तक सबस्टैण्डर्ड रहा हो अर्थात इसके किसी ऋण खाते का मूल धन या ब्याज एक वर्ष से अधिक समय में अतिदेय (overdraft) रहा है ।

या

ब. संचित नगद हानियों के कारण पूर्ववर्त्ती लेखा वर्ष में इसके वास्तविक मूल्य (Net worth) में अधिकतम वास्तविक मूल्य (Peak Net worth) के 50% या अधिक का अपक्षरण हुआ है ।

और

स. इकाई कम से कम 2 वर्षों तक व्यवसायिक उत्पादन में रही है । यदि भविष्य में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खाता रूग्ण इकाई की परिभाषा में परिवर्तन किया जाता है । उपरोक्त उल्लिखित परिभाषा स्वतः ही तद्नुसार परिभाषित मानी जायेगी ।

वर्तमान बीमार लघु उद्योगों के पुनर्वासन (Rehabilitation) की स्थिति -

1. रूग्ण/रूग्णोन्मुख के पहिचानने के आधार :- चतुर्थ औद्योगिक गणना के समय इकाई के रूग्ण एवं रूग्णोन्मुख होने की सूचना एकत्रित की गई । जिसके निम्न आधार प्रकाश में आये हैं -

अ- पूर्ववर्त्ती दो वित्तीय वर्ष की तुलना में सकल पूँजी उत्पादन में निरन्तर गिरावट ।

ब- 12 महीनों से अधिक संस्थागत लिये गये ऋणों की पुनर्वापसी में विलम्ब ।

स- संचित नगद हानियों के कारण पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में इसके वास्तविक मूल्य में इसके अधिकतम वास्तविक मूल्य में 50% तक अपक्षरण ।

2. बीमारी/ बीमारी उन्मुखता के कारण - अखिल भारतीय चौथी औद्योगिक गणना में बीमार/रूग्णोन्मुख इकाइयों के कारण नीचे दर्शाये गये है । इनमें प्रमुख कारण मॉग एवं कार्यशील पूँजी की कमी है । विवरण इस प्रकार है -

क्रमांक	रूग्णता/रूग्णोन्मुखता के कारण	रूग्ण/रूग्णोन्मुख इकाइयों का अनुपात *
1.	मॉग की कमी	71.6
2.	कार्यशील पूँजी की कमी	48.0
3.	कच्चे माल की अनुपलब्धता	15.1
4.	ऊर्जा की कमी	21.4
5.	श्रमिक समस्यायें	7.4
6.	विपणन संबंधी समस्यायें	44.5
7.	उपकरण संबंधी समस्यायें	10.6
8.	प्रबन्धन संबंधी समस्यायें	5.5

* योग 100 से अधिक है क्योंकि कुछ इकाइयों ने एक से अधिक कारण बतायें हैं ।

बीमार लघु उद्यमों के उत्थान के प्रयास -

उल्लिखित कारणों के समक्ष बीमार/बीमार होने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों को पैरा.... के लक्षण परिलक्षित होने पर उत्थान हेतु स्वतः प्राथमिक निम्न उपाय करने चाहिए -

1. उत्पाद/सेवाओं की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार किया जाए जिससे उसकी मॉग में कमी न होने पाये ।
2. इकाई को समय- समय पर नवीनतम तकनीक को अपनाना चाहिए अन्यथा इकाई अपने उत्पादों में गुणवत्ता, उत्पादकता एवं मात्रात्मकता में पिछड़ जायेगी।
3. नवीनतम तकनीक की जानकारी हेतु इकाई धारकों को स्वयं एवं कर्मचारियों में कौशल विकास करते रहना चाहिए ।
4. बाजार में पकड़ बनाये रखने हेतु समय-समय पर कच्चा माल प्रदाताओं /उपभोक्ताओं एवं वितरकों के मध्य सर्वेक्षण/अध्ययन करते रहना चाहिए जिससे इकाई अपनी कमियों को पहचान सके ।
5. ऋणों की अदायगी समय पर की जानी चाहिए ।
6. विद्युत के विकल्प के रूप में डीजी सेट/सौर ऊर्जा संचालित उपकरणों को उपयोग करना चाहिए ।
7. प्रबन्धकीय विवाद/श्रमिक विवादों से इकाइयों को बचना चाहिए ।

वर्तमान में केन्द्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बीमार लघु उद्योगों के उत्थान के प्रयास :-

रूग्ण इकाइयों को रूग्ण घोषित करने, पुनर्वासन हेतु भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसमें इकाइयों को आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा । इसके

बाद जिला उद्योग केन्द्र द्वारा नियमन रूग्ण एवं रूग्णोन्मुख लघु औद्योगिक इकाई का परीक्षण 15 दिन के अन्दर करते हुए इकाई के पुनर्वासन आवेदन पत्र को विचार योग्य मानने या न मानने की संस्तुति संयुक्त निदेशक उद्योग के माध्यम से मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी । तत्पश्चात् मण्डल समिति बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा बनाये गये पुनर्वासन पैकेज पर विचार करते हुए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में निर्णय लेगी जिन संस्थाओं/बैंकों द्वारा पुनर्वासन पैकेज तैयार करने अथवा अपेक्षित सुविधाओं के बारे में अपनी सहमति देने के सम्बन्ध में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है उस दशा में मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति ऐसे मामले उद्योग निदेशक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति (State Level Inter Institutional Committee) के उपसमिति को संदर्भित करेगी। प्रधान सचिव (लघु उद्योग), उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित इस समिति में संयोजक बैंक द्वारा विचाराधीन पैकेज को आवश्यकतानुसार ऊर्जा, कर एवं निबन्धन, आवास एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को आमन्त्रित कर अनुश्रवण करते हुए जीवित होने योग्य इकाइयों की घोषणा की जायेगी । इस पैकेज मे इकाई को कार्यशील पूँजी,करों में छूट, विद्युत कटौती से मुक्ति, विद्युत बिलों में छूट/स्थगन, श्रमिक समस्या का निदान, बकाया करों में अस्थगन आदि ।

दिनॉक 31 मार्च, 2011 तक प्रदेश में 3,718 इकाइयॉ रूग्ण पंजीकृत थीं जिनमें बैंकों का रूपया 27,668.33 लाख फॅसा था । इसके पूर्व दिनॉक 31.12.2010 तक 5054 बीमार इकाइयॉ पंजीकृत थीं जिनमें रूपया 29,859.82 लाख रूपये उलझे थे । इन 3718 रूग्ण इकाइयों 3,180 इकाइयॉ बैंकों द्वारा पुनर्वासन के अयोग्य चिन्हित की गई । मात्र 558 इकाइयॉ (14.47%) पुनर्वासन एवं पुनर्जीवन योग्य सम्भावित पाई गईं इनमें से 321 (59.61%) इकाइयॉ बैंकों द्वारा नर्सिंग के लिए रखी गई एवं 31 मार्च, 2011 तक 217 इकाइयॉ विभिन्न बैंकों द्वारा सम्भावित पुनर्जीवन हेतु अभी भी नर्सिंग हेतु प्रस्तावित हैं ।

रूग्ण एसएमई के पुनर्वासन (Rehabilitation) पर बने कार्यदल (अध्यक्ष डा0 के0सी0चक्रवर्ती) ने रूग्ण एसएमई के पुनर्वासन, एसएमई क्षेत्र के प्रति ऋण प्रवाह (Credit flow) और विकासत्मक मुद्‌दों (Developmental issues) से सम्बन्धित कई सिफारिशें की हैं जहॉ भारत सरकार, राज्य सरकार और सिडबी से सम्बन्धित सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं । वहीं बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर उन्हें सलाह दी गई है कि एसएमई पर एक बोर्ड अनुमोदित विशेष ऋण नीति बनायें और समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समस्याग्रस्त इकाइयों के लिए एक समुचित पुनर्वासन/पुनर्संरचना और गैर विवेकाधीन‘‘एकबारगी निपटान योजना‘‘ (One time settlement Scheme) बनायें एवं व्यापक प्रचार प्रसार करें ।

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्द्धन एवं विकास हेतु निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं जिनसे हमारे प्रदेश के उद्यमी लाभ उठा सकते हैं और अपने उद्यमों को रूग्णता से बचा सकते हैं –

1. क्रेडिट गारण्टी स्कीम (CGTSME)
2. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सडी स्कीम (CLCSS)
3. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (NMCP)

4. एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE- CDP)
5. उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP)
6. राजीव गॉधी उद्यमी मित्र योजना (RGUMY)
7. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
8. आईएसओ-9000/आईएओ-14001/एचएसीसीपी-प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना
9. विपणन विकास सहायता (MDA)

अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं अथवा हमारी वेबसाइट :www.msmedikanpur.gov.in देख सकते हैं ।

(बाबू लाल वर्मा)
सहायक निदेशक(आ0अ0)
एमएसएमई-विकास संस्थान, कानपुर
09415130824